इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अप्रैल 2016—वैशाख 3, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. 6198-128-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१६

[दिनांक २१ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह एक अप्रैल, २०१६ से प्रवृत्त होगा.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में, शब्द "तीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पचास हजार रुपए", शब्द "सत्ताईस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पैंतालीस हजार रुपए", शब्द "पच्चीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "चालीस हजार रुपए" और शब्द "बीस हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "पैंतीस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

"४ (१) मुख्यमंत्री को पचपन हजार रुपए, प्रत्येक मंत्री को पैंतालीस हजार रुपए, प्रत्येक राज्य मंत्री को चौंतीस हजार रुपए तथा प्रत्येक उप मंत्री और संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) मुख्यमंत्री को पचास हजार रुपए, प्रत्येक मंत्री को पैंतीस हजार रुपए, प्रत्येक राज्य मंत्री को इकतीस हजार रुपए और प्रत्येक उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक राज्य मंत्री, प्रत्येक उप मंत्री तथा प्रत्येक संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर पैंतालीस हजार रुपये प्रतिमास और राज्य के बाहर दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. 6198-128-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2016.

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 21st April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd April, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from 1st April, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "rupees thirty thousand", the words "rupees fifty thousand", for the words "rupees twenty seven thousand", the words "rupees forty five thousand", for the words "rupees twenty five thousand", the words "rupees forty thousand" and for the words "rupees twenty thousand", the words "rupees thirty five thousand" shall be substituted.

Substitution of Section 4.

3. For Section 4 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance.

"4. (1) There shall be paid to the Chief Minister a sumptuary allowance of fifty five thousand rupees, to each Minister forty five thousand rupees, to each Minister of State thirty four thousand rupees and to each Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister a constituency allowance of fifty thousand rupees, to each Minister thirty five thousand rupees, to each Minister of State thirty one thousand rupees and to each Deputy Minister and Parliamentary Secretary twenty five thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister and to each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a daily allowance of forty five thousand rupees per month within the State and two thousand five hundred rupees outside the State per day during the term of office.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.